भी अब हमारे देश में जहां चाहे बिल्डिंग बना सकते हैं ?

SHRI BANKA1 EI IARY DAS (Orissa) : We have given a <. Jailing Attention notice. Request that it she aid be admitted by the Chair.

SHRI C. D. P/NDE (Uttar Pradesh) : About this Bill, my Party will be the first to speak.

REFERENCE L) BENNETT COLEMAN AND COMPANY

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं अपनी बात बोलना शुरू करने से पहले एक मिनट में रख देना चाहता हूं । यहां फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने वायदा किया था कि बेनेट कोलमैन कंपनी के संबंध में जो एक लेटर भेजा गया था उसको यहां पेश करेंगे । वह लेटर आज तक पेश नहीं हुआ । तो मैं आपके द्वारा बड़े अदब से यह अर्ज करूंगा कि फखरुद्दीन साहब को आप कहें कि कल उस को यहां ला कर पेश करें; क्योंकि हाउस अब जल्दी जल्दी उठ रहा है ।

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BIL ., 1969—*coutd.*

श्री राजनारायण : अब सामान्यत: प्रथम वाचन पर इस सदन में लोग बोलते नहीं हैं, मगर मैं आज प्रथम वाचन पर बोल रहा हूं और मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि यह सरकार इस बिल को प्रस्तुत करने की इजाजत भी मांगे । मैं इजाजत देने का ही विरोध करता हूं । हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा काला कानून, ऐसा गंदा विधयक और ऐसा जनकोष पर अधिक भार बढ़ाने वाला विधेयक यहां पेश हो और उस पर एक मिनट भी सदन चर्चा करने में लगाये । यह हमारी मूल बात है । इसी मूल बात को अब हम जरा टहना, पंखा, पत्ता और डार देंगे ।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, इस समय हमारे मित्र श्री शीलभद्र याजी यहां नहीं हैं, इस बात को सुन कर कि ऐसा सुनने में आता

है कि हमारी प्रधान मंत्री साहिबा अब समाजवादी विचारधारा की हो गयी हैं । ऐसी चर्चा कभी कभी अखबारों में आती रही है कि अब उनकी विचारधारा कुछ समाजवादी है । हमारे कुछ पुराने मित्र इस सदन में बैठे हुए हैं जो कभी हमारे दल में रहे हैं । मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सही में आप इस बिल को मद्दे नजर रखते हुए इस नतीजे पर आये हैं कि प्रधान मंत्री साहिबा समाजवादी हैं ? श्रीमन्, मंत्रियों का संकलन और भत्ता विधेयक, 1969 पर हम विचार कर रहे हैं और मैं माननीय के० के० शाह जी को, जो कि इस सदन के नेता हैं बड़ी इज्जत करता हूं । मगर मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि उन की समाजवादी दृष्टि क्या इस विधेयक में कहीं समाजवाद को पाती है ? क्या इस विधेयक से समाजवाद आयेगा ? आज सर्वमान्य यह बात तय हो जानी चाहिए कि जो जो असमानता, गैर-बराबरी, आर्थिक गैर-बराबरी और सामाजिक गैर-बराबरी, इकोनामिक और सोशल, दोनों गैर-बराबरी जो हैं . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You mean economic and social.

श्री राजनारायण : आर्थिक माने इकोनामिक और सामाजिक माने सोशल । श्रीमन्, हमें अरबी वाला शब्द बता दें तो मैं वह कह दूं । चेयरमैन साहब को हिन्दी नहीं आती । मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि इस सदन में जो सदस्य या मंत्री बोले उनकी बातों में अगर गड़बड़ी हो तो उसे चेयर ठीक कर दे । यह हक़ उन का बराबर है । तो अगर वह आर्थिक को इकोनामिक कहते हैं और सामाजिक को सोशल कहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं । वह तो हम को ही ठीक कह रहे हैं और हम को कह रहे हैं कि तुम हिन्दी के शब्द इस्तेमाल करो, हम उसको समझने में सक्षम हैं । और मैं पहले की सदन में कह चुका हूं कि जब जनाब बैठ जाते हैं कुर्सी पर तो हम को भाषा में दिक्कत आती है । जब धारा-प्रवाह बोलेंगे, तो हिन्दी के सिवाय और कोई शब्द नहीं आयेगा, मगर हमको यहां

[श्री राजनारायण]

समझाना पड़ेगा और संसदीय प्रथा की सबसे बड़ी बात यह है कि चेयरमैन समझे कि क्या बोला जा रहा है। चेयरमैन जिस भाषा को खुद नहीं समझता, अगर उस भाषा में कोई सदस्य बोलेगा तो चेयरमैन बेचारा क्या करेगा। इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन को समझना चाहिए कि सदस्य क्या बोल रहा है . . .

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : आपकी भाषा को चेयरमैन बहुत अच्छी तरह समझते हैं।

श्री राजनारायण : इसलिए हम को कभी कभी दिक्कत होती है।

श्री निरंजन वर्मा : चेयर आपसे ज्यादा समझती है।

श्री राजनारायण : हम कभी कभी डर कर बोलते हैं, तो चेयर की वजह से ही बोलते हैं वरना हमारी जब धारा खुल जायेगी तो खुल जायेगी।

तो हमारा कहना है कि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनैतिक समानता, ये समानतायें जो हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में इन समानताओं के लिए संघर्ष हुए हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं, मगर आज गांधी जी की कृपा से या इस देश की जनता की कुर्बानी की वजह से कहें बिना किसी दिक्कत के बालिग मताधिकार हमें मिल गया और उसके कारण एक पोलिटिकल इक्वैलिटी हो गयी, राजनैतिक समानता हो गयी और कानूनी समानता हो गयी। लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता हम आज भी नहीं ला पाये, 22 साल बीत गये।

श्री नेकीराम (हरियाणा) : वाइस चेयरमैन महोदय, यह बिल पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं। वह ऐसे ही बोलते हैं।

श्री राजनारायण : वह समझेंगे नहीं। मैं आपके जरिये अपने दोस्त श्री नेकीराम, विद्या-वारिध-विशारद से कहना चाहता हूं कि आप सदन में बैठे हैं, हरियाणा की किसी सभा में नहीं बैठे हैं।

तो, श्रीमन्, यह समाजवाद है। इस विधेयक के जरिये मंत्रियों को जो सुभीता पहले थी, उसमें बढ़ोत्तरी हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है।

श्री नेकीराम : आपने बिल को पढ़ा भी है या नहीं! सारा बिल पढ़ा भी है!

श्री राजनारायण : . . . इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन में कोई ऐसा विधेयक अब नहीं आना चाहिये, जिससे कि मंत्रियों के लिये विशेष सुभीता और अवसर प्राप्त हो।

श्रीमन्, यह देखा जाय। इसमें यह है, मंत्रियों के सम्बलम् और भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, और—

> (1) इस प्रकार यथा पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में "फिफ्टीन डेज" यानी 15 दिन—शब्दों के स्थान पर "वन मंथ" यानी एक महीना शब्द रख दिये जाएंगे,

यानी मंत्री हटें या मंत्री हटाये जायं या मंत्री मरने से हटें, किसी भी कारण से हटें तो वह जिस मकान वगैरह में रहते थे, उसमें उसके बाद 15 दिन तक ही रह सकते थे, मंत्री न रहते हुये भी 15 दिन तक वह सरकारी मकान का और सरकारी सारे सामान का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब यह सरकार कहती है कि 15 दिन नाकाफी है, अब 15 दिन की जगह उसको एक महीना कर दिया जाना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Rajnarainji, he will get this privilege when he is not a Minister. When he is like you a Member of Parliament, he will get that privilege. If he is a Minister he will not get that privilege so long as he is a Minister.

श्री राजनारायण : वही तो मैं कह रहा हूं। श्रीमन्, और मैं क्या कह रहा हूं। क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी जिसका यह अर्थ नहीं

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AW URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : As a Member.

श्री राजनारायण : ठीक तो कह रहा हूं, साफ हो गई बात कि नहीं । अगर श्री के० के० शाह के दिमाग में बात साफ नहीं है, तो फिर हमें और सफाई करनी पड़ेगी ।

श्री ओम् मेहता (जम्मू और काश्मीर) : आप आगे चलिये ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, दूसरी एक और सहूलियत उनके परिवार को दी जा रही है । मान लीजिये कि अगर मंत्री मर जाय तो मंत्री का परिवार भी एक महीने तक वही भाड़ा जो कि मंत्री दे रहा था बिना दिये रहेगा । इसमें यह है :

> उसकी मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् की एक मास की कालावधि तक उपयोग, भाटक दिए बिना करे और मंत्री के कुटुम्ब पर ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण की बाबत कोई प्रभार नहीं पड़ेगा,

यानी, अगर मान लीजिये कि मंत्री मर गया तो जिस मकान में वह मंत्री रहता था और जो कुर्सी, टेबिल वगैरह सारा सामान मंत्री इस्तेमाल करता था, वह मंत्री का कुटुम्ब एक महीने तक इस्तेमाल कर सकता है बिना भाड़ा दिये हुये, बिना कुर्सी वगैरह का किराया दिये हुये। क्यों साहब ठीक है न ? यह क्यों ? 1946 से

निकलता था जो कि आप मुझको बता रहे हैं ।

श्री सी० डी० पांडे (उत्तर प्रदेश) : सिर्फ मकान का ही नहीं, सरकार का भी सवाल है ।

श्री राजनारायण : मैं तो यही कह रहा हूं । मंत्री न रहे, मंत्री पद से निकाल दिया जाय या खुद इस्तीफा दे दे तब उसको एक महीने तक मंत्री वाला मकान और मंत्री वाला सारा सामान इस्तेमाल करने का हक़ इस विधेयक के जरिये यह सरकार देना चाहती है।

माने तो 23 साल और 1947 से माने तो 22 साल, 22 साल से जो सरकार चली आ रही है, उस सरकार के दिमाग में जब कि वह समाजवाद का अवलम्बन लेने लगी तब ऐसी बात क्यों आई कि मंत्री को जो सहूलियत और सुभीता अब तक था, उसको और बढ़ा दिया जाय । मैं इसी क्यों का जवाब जानना चाहता हूं । यद्यपि फिलासफी में व्हाई का उत्तर कभी हुआ नहीं है, हाऊ का उत्तर है, कैसे का उत्तर है, क्यों का नहीं है मगर मैं चाहता हूं कि वह क्यों को कैसे समझ कर उत्तर दें कि ऐसा क्यों। कैसे इस सरकार के दिमाग में यह बात आई, कैसे यह सरकार सोचती है कि उसका जो मंत्री हटे वह अब 15 दिन की जगह एक महीने वही सुभीता भोगे, जो पहले 1952 के विधेयक के जरिये भोगते थे और अगर मंत्री मर जाये तो उसके परिवार के लोग अब बिना कोई भाड़ा दिये हुये, बिना कोई भार अपने ऊपर लिये हुये, एक महीने तक दिल्ली में बैठ कर के आराम करें।

श्रीमन्, मुझे हैरत होती है । मैं देहात से आता हूं और हमारे जीवन के समय का ज्यादा हिस्सा मजदूर और किसान में बीतता है, गरीब किसान में बीतता है, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले का रहने वाला हूं, जहां पर एक आदमी की तीन आने या चार आने रोज़ाना औसत आमदनी है । यह सरकार जरा सोचे कि आज हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं, जिनको पहिनने के लिये वस्त्र नहीं हैं, जिनको रहने के लिये मकान नहीं हैं, जिनके घर में दोनों जून चूल्हा नहीं बलता प्रतिदिन और जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाते और जो अपने बच्चों की तरक्की का कोई रास्ता नहीं निकाल पाते ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : आप दोनों जून रोटी नहीं खा सकते . . .

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (उत्तर प्रदेश) : आपके लिये नीड-बेस्ड वेज क्या हो ?

श्री राजनारायण : मुझे अफसोस है कि जब ऐसे गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही हो तब

[श्री राजनारायण]

हमारी सम्मानित सदस्या हंसती हों और इस तरह से बीच में बात करें। मैं समझता हूं कि उनको गम्भीर चिंतन में डूबना चाहिये था। और मैं दीक्षित जी को तो जवाब देना नहीं चाहूंगा क्योंकि वह अभी अभी नये इस सदन के सम्मानित सदस्य बने हैं, अपने देहाती शब्दों में कहूं तो नये नये गबरू हैं, और मैं उनको जरा दिल से मुहब्बत करता हूं; क्योंकि वह हमारे साथ रह चुके हैं, इस समय बदकिस्मती से, मुल्क की बदकिस्मती से, हमारा साथ छोड़ कर के प्रधान मंत्री के नारे में जा कर वह फंसे हुये हैं, उसका जो भी कारण हो, उनके निजी कारण हो सकते हैं और मैं उन कारणों को अच्छी तरह से जानता हूं, उसको सदन में कहने की जरूरत नहीं है।

श्री नेकीराम : वाइस चेयरमैन साहब, उनको कहिये कि बिल पर बोलें। क्या यही बिल है।

श्री राजनारायण : बिल ही है, बिल इतना ही है। नहीं समझते तो चले जायं। मैं शीलभद्र याजी को जरूर चाहता हूं कि वह इस सदन में रहें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने इस सदन में अब तक कोई विधेयक रखा जो कि उस मेहनतकश जनता के लिये हो जो कि दौलत पैदा करने वाली जनता है, जो जमीन को चीर-फाड़ कर अन्न पैदा करती है, जो खानों में जा कर के कोयला और लोहा पैदा करती है, तांबा, सोना और चांदी पैदा करती है। उस मेहनतकश जनता के लिये, उसके विकास के लिये, उसकी तरक्की के लिये इस सरकार ने कोई विधेयक पास किया है? यह समाजवाद है? यह समाजवाद की सरकार है? यह सरकार समाजवाद पर बैठ गई है, समाजवाद पर खड़ी नहीं है। बैठी हुई है समाजवाद पर। जो सरकार समाजवाद की छाती पर बैठ गई हो, वही सरकार इस तरह का काला विधेयक ला सकती है। मैं इस विधेयक को काला विधेयक कहता हूं, गन्दा विधेयक कहता हूं और मंत्रियों को रिश्वत देने वाला विधेयक कहता हूं।

श्रीमन्, आप जानते हो कि कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से छिन्न-भिन्न है और श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी इस समय प्रधान मंत्री हैं। प्रधान मंत्री हैं, आप समझ रहे हैं श्रीमन्। यह देश का सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री के कांग्रेस के दल से टूट कर ही कुछ लोग विरोधी कांग्रेस के रूप में यहां बैठ गये हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : That is irrelevant.

SHRI RAJNARAIN : This is the only relevant thing.

यही एक दम से प्रासंगिक है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्यों कि जब एक विरोधी कांग्रेस दल बन गया और कांग्रेस की सत्ता है, इन्दिरा की कांग्रेस की सरकार है और विरोधी दल के नेता हैं श्री मिश्रा, तो एक कांग्रेस दल ही विरोधी दल में बदल गया, कांग्रेस की सरकार का ही एक दल विरोधी दल हो गया, तो माइनारिटी तो है ही, इसमें कहने की क्या बात है, दुनिया जानती है, जग जानता है और हमारे श्रीमान आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आज अल्पमत की सरकार है और अगर कांग्रेस की अल्पमत सरकार को हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त का और डी० एम० के० के लोगों का समर्थन न हो तो आज फौरन, अविलम्ब श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी की सरकार धराशायी हो गई होती।

मगर, अब चूंकि इन्दिरा जी चाहती हैं कि उनका प्रधान मंत्रित्व कायम रहे, इसलिये वह मंत्रियों को कुछ खिलाने के लिये, कुछ फुसलाने के लिये, कुछ लालच के लिये, कुछ सहूलियत के लिये ऐसे विधेयक को लाने की नापाक कोशिश करती रहती हैं कि ऐसा विधेयक आए, जिससे अब जो मंत्री हैं थोड़ा सा फुसलाने में आ जायें और वे सोचें कि हां प्रधान मंत्री के साथ रहने में अब उनको कुछ विशेष सहारा मिलेगा। *(Time bell rings)* और विशेष सहूलियत मिलेगी। मैं दुनिया की तवारीख और

दुनिया की कुछ जानने योग्य बातें आपके द्वारा श्री शीलभद्र याजी और उनके समकक्षी विचार रखने वालों की खिदमत में पेश करना चाहूंगा। कोई भी मुल्क ले लिया जाय, किसी भी मुल्क की सरकार के मंत्रियों और वहां के संसद् के सदस्यों की तनख्वाह और सहूलियत में और वहां की जनता की जो एवरेज इनकम कही जाती है, जो औसत आमदनी कही जाती है, उस औसत आमदनी में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है और भारतवर्ष में उसका क्या अनुपात है। उन देशों में और भारतवर्ष में कितना फर्क है। दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसा अभागा मुल्क है, जो कांग्रेस की सरकार के रहते हुए लगातार बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों और संसद् सदस्यों की तनख्वाह और भत्ते को बढ़ाता चला जाता है और सामान्य जन जीवन की जो औसत आमदनी है, उससे सौ गुना, डेढ़ सौ गुना, दो सौ गुना का फर्क है। आप चले जाइये अमरीका में, आप चले जाइये इंग्लैंड में, जहां इस समय डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस है, तो वहां भी चार, पांच, छः का फर्क होता है औसत आमदनी में। संसद् सदस्यों की आमदनी और मंत्रियों की आमदनी में भी फर्क उतना नहीं होता है, जितना फर्क आज यह सरकार रख रही है।

श्रीमन्, इस सदन में बार बार चर्चा हुई, बार बार मांग की गई कि सरकार सही तरीके से लाकर आकड़े पेश करे कि एक मंत्री के ऊपर कितना कुल खर्च हो रहा है, मंत्री लोग विदेशों में इधर तीन महीनों के अंदर कहां कहां गये, कितने कितने गये, क्या खर्च हुआ। आज तक सरकार इतनी निकम्मी नालायक हो गई है, इतनी बुद्धिहीन और साधन विहीन हो गई है कि बराबर उत्तर देती है सदन में कि सूचना की जरूरत है, अभी सूचना इकट्ठी की जा रही है, जानकारी नहीं है। यह किसी भी जनतंत्रीय सभ्य सरकार के लिये शोभा की बात नही है कि सरकार बराबर अपनी अयोग्यता का और अजानकारी का परिचय दे। ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी सबसे बड़ी विशेष खूबी समझ रखी है अज्ञानता की, अजानकारी की। जितना ही अजानकार सरकार को सलाह दें, उतना ही यह सरकार समझती है कि यह अच्छी है। आज किसी भी जनतंत्र के लिये ...

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान): अब आप खत्म कीजिए।

श्री राजनारायण : तो मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं आज भी प्रधान मंत्री को ...

ill, 1969

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Now you must finish.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्रधान मंत्री को देखा जाय। आज प्रधान मंत्री पर कुल खर्च सारा जोड़ दिया जाय, तो प्रधान मंत्री और उनके जीवन की सुरक्षा का सारा खर्च करीब 30 हजार रुपये रोजाना आ रहा है। हमारे हिसाब से, आज जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, हर मंत्री पर दिल्ली में 2,000 रु० डेली का, रोजाना खर्च आ रहा है। इतना खर्च करते हुये यह सरकार चाहती है कि इससे भी ज्यादा सहूलियत, इससे भी ज्यादा सुविधा आज उन मंत्रियों के रहने के लिये, उनके परिवार के रहने के लिये दिया जाय। श्रीमन्, आपको शायद न मालूम हो, मगर आपके द्वारा मैं सदन को बताना चाहता हूं, साठ आदमी कई दिनों से लगातार प्रधान मंत्री के मकान पर धरना दे रहे हैं। मुझे अफसोस है हमारे राज्य सभा की नियमावली इतनी सीमित कर दी गई है कि जनतंत्रीय प्रणाली को छीना गया है। ऐसा लगता था कि आरम्भ में जो राज्य सभा की नियमावली बनाई गई थी, वह कुछ खाने कमाने वाले सदस्यों के लिये बनाई गई थी, जिनके बारे में लोग कहते थे कि रईसों की कौंसिल है, जो लोग घर बैठे खाते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, उठने बैठने दिल्ली आ जाते हैं। इस बार हमने अपने राज्य सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि दिल्ली में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर साठ आदमी जो हरिजन परिवार के हैं, बावरिया परिवार के हैं, उनके यहां जमींदारों ने हमला किया, उस परिवार

[श्री राजनारायण]

में एक ही लड़का था, जो ग्रेजुएट था, कई महीने हो गये उस लड़के को जबर्दस्ती उठा कर ले गये। आज तक उस लड़के का कोई पता नहीं है और वह लोग रोज़ हमारे यहां आते हैं, प्रधान मंत्री के यहां से आते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : This boy was kidnapped from which place?

श्री राजनारायण : यहीं दिल्ली में। अभी हम पढ़ दें, अगर आपका हुकुम हो। इसी दिल्ली में बैठे हुए हैं। और हमारे राज्य सभा का सचिवालय, हमारे माननीय चेयरमैन साहब की विशेष अनुकम्पा से, उनकी आज्ञा से, लिख कर भेजता है कि यह ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव जिसमें प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर धरना पड़ने का प्रश्न है, वह गृहीत नहीं किया गया। मैं चहाता हूं यह हमारे साथ अनुगृहीत हों कि हमारे इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को गृहीत करें। परन्तु पता नहीं अनुगृहीत होंगे या नहीं।

प्रधान मंत्री को हमने कल टेलीफोन किया। प्रधान मंत्री के यहां कोई शेखर शेखर हैं। (*Interruptions*) हां शेखर साहब। उन्होंने कहा वह तो नहीं हैं राजनारायण जी, मगर मैं आपकी बात को प्रधान मंत्री तक पहुंचा दूंगा। हमने कहा : जरूर पहुंचाएं। अगर प्रधान मंत्री का लड़का किडनेप कर लिया गया होतां, तब प्रधान मंत्री को पता चलता कि किसी के लड़के को किडनेप करने के बाद किसके दिल में क्या ठेस और आंच आती है।

"जांके पैर फटे न बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।" प्रधान मंत्री को आज तक पता नहीं चल रहा है। दो महीने हो गये, इसी दिल्ली में बावरिया का लड़का जो ग्रेजुएट था, उसको ज़मींदार लोग पकड़ कर ले गये और अभी तक वह लड़का नहीं मिला। प्रधान मंत्री के घर पर, आज सुबह की बात है, दो लारी ट्रक पर प्रधान मंत्री के प्रशंसकों को चढ़ा कर लाये हैं। वहां हमारे गोरखपुर के एक समाजवादी का लड़का मौजूद था। उसको पुलिस के लोग कहते हैं, जब प्रधान मंत्री इस ट्रक पर आए हुए, खरीदे हुए, छः-छः रु० देकर बुलाये गये, लोगों को एड्रेस करेंगी, तो उसी समय उनका मेमोरेन्डम दिलवा दीजिए और चले जायं। यह स्थिति है। क्या यह सरकार इसको उचित समझती है कि पन्द्रह दिन की जगह एक महीने की मंत्रियों को सहूलियत दी जाये, उनके परिवार को सहूलियत दी जाय कि बिना एक पैसा दिये हुए राज कोष के खर्चे पर उस घर का इस्तेमाल करें, उस फर्निचर का इस्तेमाल करें। यह बिलकुल ग़लत बात है। हां, अगर यहां जन-जीवन की समानता हो, तब दूसरी बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर आज चर्चा नहीं होनी चाहिये, हर्गिज नहीं होनी चाहिये, सदन के समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, आपको मालूम होगा, अभी छः तारीख कों—छः तारीख का अखबार देखा जाये—उत्तर प्रदेश की सरकार को हम लिखने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 6 ता० को इलाहाबाद क्यों। हमारे उपराष्ट्रपति 6 ता० को इलाहाबाद क्यों गये। किसके खर्चे पर गये?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You have taken half-an-hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You have explained it.

श्री राजनारायण : मौका दिया जाय तब कहूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : दूसरे बोलने वाले हैं।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह कोई मामूली विधेयक है क्या।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : But the time is fixed.

श्री राजनारायण : विधेयक नन्हा है, छोटा है। इसकी मार करारी है, गहरी है।

श्री राजनारायण : आधा समय तो श्रीमन्, आप टोक देते हैं। टोकिये मत।

मैं आपके द्वारा पूछ रहा हूं, हमको जवाब दिया जाय कि 6 दिसम्बर को प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद क्यों गईं। 6 ता० को उपराष्ट्रपति इलाहाबाद क्यों गये? इसलिये कि हमारे एक मित्र हैं, श्री बहुगुणा, उनकी शादी की दावत थी। गई हैं दावत खाने, गये हैं दावत खाने और किसके पैसे पर गये? जनता के पैसे पर गये, जन कोष के रुपये का दुरुपयोग हुआ। इस तरह से आज प्रधान मंत्री साहिबा हमारे देश के धन का दुरुपयोग कर रही हैं, उपराष्ट्रपति जी हमारे देश के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। (*Interruptions*) मुझे बहुत ही अफसोस के साथ सुनना पड़ता है, हम शीलभद्र याजी का जवाब दे सकते हैं, मगर हम सम्मिलित सदस्यों का जवाब नहीं देना चाहते हैं; क्योंकि हम महिलाओं को विशेष आदर देते हैं और वह . . .

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आप चेयर का कहना मानिये। हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : हम इस विधेयक को प्रस्तुत करने ही के विरुद्ध हैं। यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो और सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा यह सदन हर्गिज हर्गिज न दे जिससे कि खर्चे का भार बढ़े। हां, एक बात मैं मान सकता हूं कि अगर मंत्री चाहते हैं कि ऐसे विधेयक पर सदन में चर्चा हो तो उस विधेयक को फौरन ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इसकी परिधि व्यापक कर दी जाय, जिसमें हम यह लिखें कि अब मंत्रियों को पहले जो सहूलियत मिलती थी, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उन सहूलियतों में यह कमी की जायेगी और अगर कोई इतने दिनों मंत्री रह चुका है, वह मंत्री पद से हटता है, तो उसको मकान क्यों मिले।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप कह चुके हैं यह।

श्री राजनारायण : और अगर मन्त्री मरता है, तो उसका कुटुम्ब यहां पर क्यों रहे, यह सरकार आज इस तरह की बात करने जा रही है। आज जिस सरकार की मरम्मत होनी चाहिये, जिस सरकार की मलामत होनी चाहिये; क्योंकि इस सरकार ने आज स्वर्गीय श्री लाल-बहादुर शास्त्री की जो बकाया रकम थी, उसको निकाल कर श्रीमती ललिता शास्त्री के पास चुकाने के लिये भेज दिया है। सरकार को अपनी इस कार्यवाही पर शर्म आनी चाहिये। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिये, लेकिन आज यह सरकार मरती भी नहीं है।

श्रीमन्, श्रीमती ललिता शास्त्री के पास जैसा कि अखबारों में निकला है, इस सरकार ने बकाया रकम का बिल चुकाने के लिये भेजा है। कोई कहता है कि वह रकम 50 हजार रुपये की है और कोई कहता है कि वह रकम 1 लाख रुपये की है। इस तरह से तरह तरह की खबरें अखबारों में निकली हैं। आज भी मिर्जापुर के किसी व्यक्ति से हमारी बात-चीत हुई तो उन्होंने कहा कि मिर्जापुर के लोगों ने कहा है कि श्रीमती ललिता शास्त्री जी के पास जो रकम चुकाने के लिए लिखा गया है, उसको उन्हें देने की जरूरत नहीं हैं, बल्कि वह हम लोग देंगे। उन लोगों ने प्रधान मन्त्री को इस आशय की चिट्ठी लिखी है कि यह रकम मिर्जापुर के लोग देने के लिए तैयार हैं। वहां की जनता काफी रकम देने के लिए तैयार है और इस बिल को चुकता करने के बाद जितनी रकम बच जायेगी वह भी वे श्रीमती ललिता शास्त्री को देने के लिए तैयार हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसीलिए इस चीज की खोज होनी चाहिये। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लड़के श्री हरिकृष्ण शास्त्री के पास . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Now you sit down.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि जब किसी बात के ऊपर इन्क्वायरी बैठती है, तो उसका क्या हाल होता है । यहां पर भी यह सरकार किसी सवाल का जवाब अच्छी तरह से नहीं देती है । आज यह एक सार्वजनिक सवाल उठा है और उस सवाल का जवाब क्या सरकार ने अभी तक दिया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीमती ललिता शास्त्री के पास इस सरकार ने बकाया रकम मांगने की चेष्टा क्यों की है ? श्रीमन्, इसका कारण यह है कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के लड़के ने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया है कि हम तुम्हारी धमकी में नहीं आएंगे, उसने आज प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मार दी है और उसने कहा है कि हम भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं और हम प्राइम मिनिस्टर के गुट तिगड़म में नहीं आयेंगे तथा सरकार विरोधी कांग्रेस में आयेंगे । जब इस तरह की बात हुई, तो फिर श्रीमती ललिता शास्त्री के पास बकाया रकम का खर्रा चला गया और उसमें बतलाया गया है कि इतनी रकम दो । श्रीमन्, आप खुद ही इस बात को सोचा सकते हैं क्योंकि आप ब्राड माइन्डेड हैं । श्रीमन्, आप दरिया-दिल हैं, आप जरा खुद सोचें इस बात को कि जो सरकार श्रीमती ललिता शास्त्री को इस तरह से बकाया रकम वसूल करने की चेष्टा करती, है वही सरकार आज इस तरह के काले विधेयक को लाये, जो मन्त्री को 15 दिन की जगह 30 दिन तक मकान में रहने की इजाजत देती है, । उस मंत्री के मरने के बाद उसके परिवार वालों को 30 दिन तक मकान में रहने की इजाजत देती है । सहुलियतें देती है और बिना पैसे दिए हुए सब चीज इस्तेमाल करने की सहुलियत देती है । यह क्या है । आज यह सरकार दो मुंह से बोलती है । दो मुंह से तो सांप बोलता है । इन्सान और सरकार नहीं बोलती है । इसलिए मैं श्री शीलभद्र याजी से कहना चाहता हूं कि अगर वे समाजवाद की बात कहना चाहते हैं, समाजवाद का नाम लेना चाहते हैं, तो पहले देश में जो विषमता है उसको दूर करें, कम करें, बहुत कम करें और बिलकुल कम करें । *(Interruptions)* श्रीमन्, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । अगर मैं दो मिनट अपना भाषण और जारी रखूंगा, तो आपके साथ भी न्याय करूंगा और परोक्ष रूप में अपने साथ साथ भी न्याय करूंगा ।

श्रीमन्, आज म चाहता हूं कि हमारे देश में आमदनी और खर्चे की एक हदबन्दी हो जानी चाहिये । हम इस मौके पर कहना चाहते हैं और हमारा कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वे नेहरू गांधी सेठ हों, बिरला टाटा सेठ हों, दोनों सेठों में से कोई भी 1,500 रु० माहवार ज्यादा खर्चा न करने पाये और न 1,500 रु० से ज्यादा कोई आमदनी ही करने पाये । यह होगा कैसे ? जब तक सब आवश्यक सामग्रियों की कीमत ठीक नहीं हो जाती है और जितनी भी सामग्री तैयार होती है, उसकी कीमत लागत से ड़ेढ़ गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । इस तरह से एक पूरा का पूरा समाजवादी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति 1,500 रुपये माहवार से ज्यादा आमदनी या खर्चा करता है, वही इस तरह का काला विधेयक कबूल कर सकता है । इस तरह का बेहुदा विधेयक यहां पर नहीं रखा जाना चाहियें, इस तरह के विधेयक को तो टुकड़े-टुकड़े कर के फाड़ दिया जाना चाहिये । जो सरकार इस तरह के विधेयक को लाती है, वह देश के साथ दगा करती है, गरीबों के साथ गद्दारी करती है और मुल्क के साथ मक्कारी करती है । इसलिए इस तरह के विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करने की आपको श्रीमन्, बिलकुल इजाजत नहीं देनी चाहिए । इसलिये मैं आपसे अर्ज करता हूं की आपके पास भी एक रेजिडियुअरी पावर है । अगर आप के पास इस तरह की पावर है, तो उस पावर का आप इस्तेमाल करें और इस सरकार से कहें कि इस तरह के गन्दे विधेयक की यहां पर आवश्यकता नहीं है और इस तरह के विधेयक को प्रस्तुत करने तथा उस पर विचार करने

की इजाजत नहीं दें । आप मन्त्री जी से कहें कि इस तरह के विधेयक को फौरन से पेस्तर निकाल कर यहां से बाहर फेंक दें । अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको जनता मुबारकबाद देगी और कहेगी की कि चेयर में श्री अकबर अली खान साहब बैठे थे और उन्होंने एक अच्छी रूलिंग दी और सरकार को एक काला विधेयक, नापाक विधेयक को प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप बार बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिये मुझ बैठना ही होगा । नमस्कार ।

REFERENCE TO STRIKE IN THE DELHI UNIVERSITY

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Mysore) : M -. Vice-Chairman, may I make a submis* ion before you call another Member. It se nv that just now there has been a strike g >ing on in the Delhi University and tie police have resorted to lathi charge an I many students have been wounded. I would like you, Sir, to ask the Government to make a statement either before w» rise today or tomorrow.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : दिल्ली यहीं पर है और हम चाहते हैं कि आज सदन उठने से पहले इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : It can be made if possible, today; otherwise tomorrow.

SHRI RAJNARAIN : Why it is not possible ?

यह तो यहीं की घटना है और इसमें पौसिबल का सवाल ही नहीं उठता है ।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : Mr. Vice-Chairman, you should ask thr Government to make a statement befo 1 e we adjourn today, before 5 o'clock. We would like to know what the position is.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, यह तो दिल्ली की घटना है और इस पर आज बयान अवश्य होना चाहिए ।

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : I also think that the statement should be made on this issue before the House adjourns today.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL 1969—*contd.*

SHRI C. D. PANDE : Mr. Vice-Chairman, the scope of the Bill is rather limited but the question involved therein is a vast one and is always in the mind of the public. The public is very much agitated and is also critical of the manner in which the Ministers' salaries and other allowances are being paid and amenities are being misused.

Sir, it is difficult to make an assessment of the expendituie on each Minister. My friend, Mr. Rajnarain, said that it comes to about Rs. 30,000 per day in the case of the Prime Minister and Rs. 2,000 in the case of other Ministers. I do not make that claim. But I do say that the amount involved is tremendous. Even with the most elementary addition *of* the items involved, one comes to the conclusion that each Minister gets about Rs. 7,000 to Rs. 8,000 per month. People may ask me the manner by which I get at this amount.

Sir, a Cabinet Minister gets Rs. 2,250 plus Rs. 500 without tax. That is why the sumptuary allowance, not taxable, is equal to Rs. 1,000 in that level of income. Therefore, a Cabinet Minister gets Rs. 3,250. A Minister of State gets Rs. 2,250 in all. The amount thus paid is negligible compared to the amount otherwise paid. First of all I will take up the Ministers in the Ministry. Should it be necessary for no to say that there are 55 Ministers in this Government . . .

SHRI OM MEHTA : Out of whom five are gone.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : And we will not take them back.

SHRI C. D. PANDE : Anyhow, whether it is 55, 52 or 50, that is immaterial. But the number is excessive. One day I asked a friend whethe- half of these gentlemen ever make their appearance in the House, and suppose they are no more there, would they be missed ?